Parts of Constitution
(संविधान के भाग)

Join SelectionWay GS Channel | Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

भारतीय संविधान : प्रमुख भाग

1 वर्तमान संरचना

- 22 भाग → 25 भाग
- 395 अनुच्छेद → 448 अनुच्छेद
- 8 अनुसूचियाँ → 12 अनुसूचियाँ

2 सबसे लंबा भाग → भाग 5 (संघ) अनुच्छेद 52 से 151

3 हटाया गया भाग → भाग 7 तथा भाग 9

- भाग 7 : भाग 'ख' (Part B) के राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद 238 — 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956
- मूल भाग 9 : भाग 'घ' (Part D) के राज्य क्षेत्र : अनुच्छेद 243 — 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

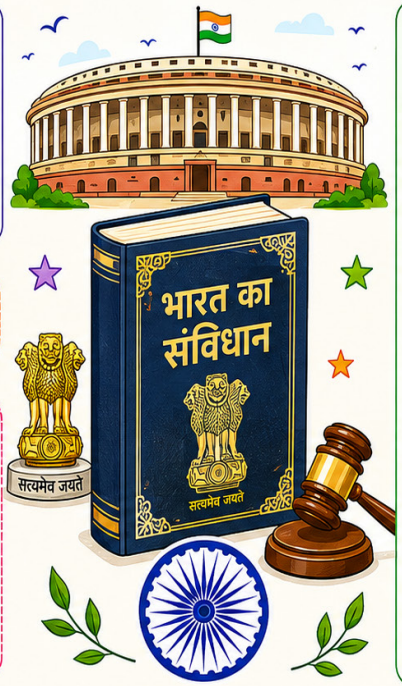

4 जोड़े गए प्रमुख भाग → 05

- भाग 4 (A) : मौलिक कर्तव्य — 42वाँ संशोधन, 1976
- भाग 9 : पंचायतें — 73वाँ संशोधन, 1992
- भाग 9 (A) : नगरपालिकाएँ — 74वाँ संशोधन, 1992
- भाग 9 (B) : सहकारी समितियाँ — 97वाँ संशोधन, 2011
- भाग 14 (A) : अधिकरण — 42वाँ संशोधन, 1976

संविधान की संरचना समय के साथ बदलती आवश्यकताओं का जीवंत उदाहरण है !

(भाग)	(विषय)	(संबंधित अनुच्छेद)	(महत्वपूर्ण तथ्य)
भाग 1	संघ और उसका राज्यक्षेत्र	1–4	○ अनुच्छेद 1: भारत, अर्थात् भारतवर्ष, राज्यों का एक संघ होगा। ○ अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन .
भाग 2	नागरिकता	5–11	○ अनुच्छेद 11: संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ○ नागरिकता अधिनियम, 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
भाग 3	मूल अधिकार	12–35	○ 6 मूल अधिकार → "Magna Carta of India"; ○ अनुच्छेद 32 → 5 प्रकार की रिट → "संविधान की आत्मा और हृदय"
भाग4	नीति-निदेशक तत्व	36–51	○ आयरलैंड से प्रेरित ○ न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, लेकिन शासन के लिए मूलभूत।
भाग 4 (A)	मूल कर्तव्य	51 (A)	○ 42वें संविधान संशोधन, 1976 से जोड़े गए ○ मूल रूप से 10 कर्तव्य, अब 11 ○ 86वें संशोधन, 2002 से 11वाँ कर्तव्य जोड़ा गया
भाग 5	संघ	52–151	○ राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52–62) ○ उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63–71) ○ संसद (अनुच्छेद 79–122) ○ सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124–147) ○ भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) ○ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148–151)

➤ भाग 6	राज्य	152–237	❍ राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162) ❍ राज्य की मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163–164) ❍ राज्य का महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) ❍ राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 168–212) ❍ राज्य की विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 196–201) ❍ उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214–231) ❍ अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233–237)
➤ भाग 7	भाग B राज्य	हटाया गया	❍ 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा हटाया गया
➤ भाग 8	केंद्रशासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था	239–242	❍ पुडुचेरी → अनुच्छेद 239A ❍ दिल्ली → अनुच्छेद 239AA
➤ भाग 9	पंचायत	243–243O	❍ 73वाँ संविधान संशोधन, 1992 ❍ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई
➤ भाग 9 (A)	नगरपालिकाएँ	243P–243ZG	❍ 74वाँ संविधान संशोधन, 1992 ❍ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई
➤ भाग 9 (B)	सहकारी समितियाँ	243ZH–243ZT	❍ 97वाँ संविधान संशोधन, 2011
➤ भाग 10	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244–244A	❍ 5वीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्र ❍ 6वीं अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र
➤ भाग 11	संघ-राज्य संबंध	245–263	❍ 246A → GST से संबंधित विशेष ❍ 248 → अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद के पास ❍ 249 → राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने की शक्ति ❍ 250 → आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने की शक्ति
➤ भाग 12	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद	264–300A	❍ अनुच्छेद 300A → संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक/कानूनी अधिकार है। ❍ मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया।
➤ भाग13	व्यापार-वाणिज्य	301–307	❍ भारत के भीतर व्यापार की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 301 सबसे महत्वपूर्ण।
➤ भाग 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308–323	❍ अनुच्छेद 312→ अखिल भारतीय सेवाएँ ❍ अनुच्छेद 315 से 323 → लोक सेवा आयोग
➤ भाग 14 (A)	अधिकरण	323A–323B	❍ 42वें संशोधन, 1976 से जोड़ा गया
➤ भाग 15	निर्वाचन	324–329A	❍ अनुच्छेद 324 → निर्वाचन आयोग ❍ अनुच्छेद 326 → वयस्क मताधिकार
➤ भाग 16	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	330–342A	❍ अनुच्छेद 330 → लोकसभा में SC/ST ❍ अनुच्छेद 331 → लोकसभा में Anglo-Indian (104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त) ❍ अनुच्छेद 332 → विधानसभा में SC/ST आरक्षण ❍ अनुच्छेद 333 → विधानसभा में Anglo-Indian (104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त) ❍ अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ❍ अनुच्छेद 338 (A) → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ❍ अनुच्छेद 338 (B) → राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
➤ भाग 17	राजभाषा	343–351	❍ अनुच्छेद 343 → संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी अनुच्छेद 344 → राजभाषा आयोग और संसदीय समिति
➤ भाग 18	आपात उपबंध	352–360	❍ अनुच्छेद 352 → राष्ट्रीय आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह) ❍ अनुच्छेद 356 → राष्ट्रपति शासन (राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता) ❍ अनुच्छेद 360 → वित्तीय आपातकाल
➤ भाग 19	प्रकीर्ण	361–367	❍ Article 361 → Protection of President/Governor ❍ Article 367 → Interpretation of the Constitution
➤ भाग 20	संविधान का संशोधन	368	❍ अनुच्छेद 368 → संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया

➤ भाग 21	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369–392	❍ अनुच्छेद 370 → जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान ❍ अनुच्छेद 371 → महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान ❍ अनुच्छेद 371 (A)→ नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान
➤ भाग 22	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393–395	❍ अनुच्छेद 393 → संविधान का संक्षिप्त नाम ❍ अनुच्छेद 394 → संविधान का प्रारंभ ❍ अनुच्छेद 394 (A) → हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ ❍ अनुच्छेद 395 → निरसन

अवधारणा	स्रोत	मूल विचार	संबंध / अनुच्छेद
1. विधि का शासन	ब्रिटेन (ए. वी. डायसी)	सर्वोच्चता: देश में इंसानों का नहीं, बल्कि कानून का राज होगा।	अनुच्छेद 14 का आधार (संविधान का मूल ढांचा)
2. विधि के समक्ष समता	ब्रिटेन	नकारात्मक समता: कानून अंधा है। राजा हो या रंक, कानून की नजर में सब बराबर हैं।	अनुच्छेद 14 (विधि के शासन का ही एक हिस्सा)
3. विधियों का समान संरक्षण	अमेरिका	सकारात्मक समता: कानून अंधा नहीं है। समान लोगों के साथ समान और असमान के साथ अलग व्यवहार (जैसे- आरक्षण)। .	अनुच्छेद 14
4. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया	जापान	प्रक्रियात्मक जांच: न्यायालय केवल यह देखेगा कि कानून बनाने का तरीका/प्रक्रिया सही थी या नहीं।	अनुच्छेद 21 (मूल संविधान में)
5. विधि की उचित प्रक्रिया	अमेरिका	तात्विक जांच: न्यायालय देखेगा कि प्रक्रिया के साथ-साथ कानून की नीयत भी न्यायपूर्ण और तार्किक है या नहीं।	अनुच्छेद 21 (मेनका गांधी केस 1978 के बाद)

संविधान से हटाए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Significant Articles Removed

1 अनुच्छेद 31 – संपत्ति का अधिकार

क्या था? → मूल संविधान में संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार, भाग III के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था।

कैसे हटाया गया? → 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार भाग XII के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में है। यह मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक / संवैधानिक अधिकार है।

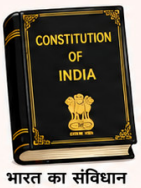

भाग III (मौलिक अधिकार) → अनुच्छेद 300A → भाग XII (वैधानिक अधिकार)

2 अनुच्छेद 379 से 391

क्या थे? → ये अनुच्छेद स्वतंत्रता के बाद आवश्यक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित थे, जैसे अंतरिम संसद और अंतरिम सरकारें।

कैसे हटे? → 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इन्हें हटा दिया गया, क्योंकि प्रथम आम चुनाव हो चुके थे और संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं रही।

3 अनुच्छेद 329A

क्या था? → 1975 में 39वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के दौरान जोड़ा गया यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालयीय समीक्षा से बाहर करता था।

कैसे हटाया गया? → राज नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया।

Exam Point:
अनुच्छेद 31, 379–391 और 329A ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन्हें समय, परिस्थितियों और संवैधानिक संशोधनों के अनुसार हटाया गया।

याद रखें!
- संशोधन = परिवर्तन
- संविधान = जीवंत दस्तावेज

★ Quick Revision Notes ★